15 30
151345

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

फाल्गुन 24, शुक्रवार, शाके 1940–मार्च 15, 2019
Phalguna 24, Friday, Saka 1940–March 15, 2019

भाग 7
विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

RAJASTHAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
JAIPUR, March 05, 2019

No.RERC/Secy./Regulation – 128 .-In exercise of the powers conferred under Section 61 and 62 read with Sections 86 and 181 of the Electricity Act, 2003 and all provisions enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission and after previous publication makes the following Regulations to amend Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Renewable Energy Sources-Wind and Solar Energy) Regulations, 2014 (hereinafter referred to as the 'Principal Regulations'), namely:

1. **Short title and commencement:**
   (1) These Regulations shall be called the "Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Renewable Energy Sources-Wind and Solar Energy) (Second Amendment) Regulations, 2019."

   (2) These Regulations shall come into force from the date of their notification in the Official Gazzette.

2. **Amendment in Regulation 1 of the Principal Regulations:**
   (A) The existing sub-regulation (2) shall be amended as under:
   The words and figures appearing in sub-regulation (2), "*upto FY 2018-19, i.e., March 31, 2019*" shall be substituted with words and figures "*up to FY 2019-20, i.e., March 31, 2020*".

   (B) The existing sub-regulation (3) shall be substituted with the following:
   The figure "*5*" appearing at sub-regulation (3) shall be substituted with figure "*6*".

3. **Amendment in Regulation 5 of the Principal Regulations:**
   (A) The words and figure "*five (5)*" appearing in main provision of Regulation 5, shall be substituted with words and figure "*six (6)*".

   (B) A new proviso shall be added below the existing second proviso to Regulation 5 as under:
   "*Provided also that in case Regulations for the next control period are not notified until commencement of next control period, the tariff norms as per these Regulations shall continue to remain applicable until notification of the revised Regulations subject to adjustment as per revised Regulations.*"

4. **Insertion of a new Regulation 6A in the principal Regulations:**
A new Regulation 6 A shall be inserted as follows:
"6A. Project specific tariff
   (1) *The Commission may determine project specific tariff, on case to case basis, as and when situation arises for the following types of projects:*
      (a) *Solar PV and Solar Thermal;*
      (b) *Wind Energy (including on shore and off-shore);*
      (c) *Other hybrid projects include renewable-renewable or renewable conventional sources; for which renewable technology is approved by MNRE;*
      (d) *Any other new renewable energy technologies approved by MNRE.*
      (e) *Projects covered under Central/State Government schemes.*

(2) Determination of project specific tariff for generation of electricity from such renewable energy sources shall be in accordance with such terms and conditions as stipulated hereunder:

Provided that while determining the project specific tariff, financial and technical norms as specified under Part-III to VI of these Regulations can be deviated by the Commission by recorded reasons in the order."

5. **Amendment in Regulation 7 of the Principal Regulations:**

A new sub-regulation (4) shall be added below the existing sub-regulation (3) of Regulation 7 as under:

"(4) A petition for determination of project specific tariff shall be accompanied by such fee as may be determined by regulations and shall be accompanied by:

(a) Information in forms 1.1and 1.2 as the case may be, and as appended in these regulations;

(b) Detailed project report outlining technical and operational details, site specific aspects, premise for capital cost and financing plan, details of installation of same technology in operation with capacity, place and year of installation, manufacturer's/supplier's guaranteed and other technical particulars, recommended O&M practices and public safety requirements, etc.

(c) A statement of all applicable terms and conditions and expected expenditure for the period for which tariff is to be determined.

(d) A statement containing full details of calculation of any subsidy and incentive received, due or assumed to be due from the Central Government and/or State Government. This statement shall also include the proposed tariff calculated without consideration of the subsidy and incentive.

(e) Any other information that the Commission requires the petitioner to submit."

6. **Amendment in the Regulation 9 of the Principal Regulations:**

A new sub-regulation (4) shall be added below the existing sub-regulation (3) as under:

"(4) The above principles shall also apply for project specific tariff determination."

7. **Amendment in the Regulation 10 of the Principal Regulations:**

Existing sub-regulation (2) shall be substituted as under:

"(2) The dispatch principles for electricity generated from wind and solar energy plants shall be as per the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010, as amended from time to time, except where specific provisions have been made under the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Rajasthan Electricity Grid Code) Regulation, 2008 and RERC(Forecasting, Scheduling, Deviation Settlement and Related Matters of Solar and Wind Generation Sources) Regulations, 2017 and amendments thereto."

8. **Amendment in the Regulation 11 of the Principal Regulations:**

A new proviso to Regulation 11 shall be added as under:

"Provided that for project specific tariff determination the generating company shall submit the break-up of capital cost items along with its petitions in the manner specified under Regulation 7."

9. **Amendment in the Regulation 12 of the Principal Regulations:**

The existing provision shall be numbered as sub-regulation (1) and a new sub-regulation (2) shall be added below it as under:

"(2) For project specific tariff, the following provisions shall apply-

If the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan:

Provided that,where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost, the actual equity shall be considered for determination of tariff:

Provided further that the equity invested in foreign currency, if any, shall be designated in Indian rupees on the date of each investment."

10. **Amendment in the Regulation 13 of the Principal Regulations:**

(A) The sub-regulation (1) shall be substituted with the following:

"(1) Loan Tenure

For the purpose of determination of generic tariff, loan tenure of 13 years shall be considered."

(B) The sub-regulation (2)(b) shall be substituted with the following:

"(b) For the purpose of computation of tariff, normative interest rate of two hundred (200) basis points above the average State Bank of India Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) (one year tenor) prevalent during the last available six months shall be considered."

11. **Amendment in Regulation 14 of the principal Regulations:**

Sub-regulations (1) and (2) of Regulation 14 shall be substituted with the following:

"(1) The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost determined by the Commission (for generic tariff) or the capital cost admitted by the Commission (for project specific tariff), as the case may be. The salvage value of the asset shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to a maximum of 90% of the capital cost of the asset.

(B) *Depreciation rate of 5.28% per annum for the first 13 years and remaining depreciation to spread during the remaining useful life of the project considering the salvage value of the project as 10% of project cost shall be considered."*

12. **Amendment in Regulation 15 of the Principal Regulations:**

(B) Sub-regulation (2) of Regulation 15 shall be substituted with the following:

"(2) The normative Return on Equity shall be 14 % to be grossed up by prevailing Minimum Alternate Tax (MAT) as on 1st April of previous year for the entire useful life of the project."

(C) Sub-regulation (3) of Regulation 15 of the Principal Regulations shall be deleted.

13. **Amendment in Regulation 16 of the Principal Regulations:**

Sub-regulation (2) of regulation 16 shall be substituted with the following:

"(2) Interest on Working Capital shall be at interest rate equivalent to the normative interest rate of three hundred (300) basis points above the average State Bank of India MCLR (one year tenor) prevalent during the last available six months for the determination of tariff."

14. **Amendment in Regulation 18 of the Principal Regulations:**

The following proviso shall be added below the regulation 18:

"Provided *that the rebate w.e.f. 1.4.2019 for payment of bills shall be as per provisions of rebate specified In RERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2019 as amended from time to time."*

15. **Amendment in Regulation 19 of the Principal Regulations:**

The following proviso shall be added below the regulation 19:

"Provided that the Late Payment Surcharge w.e.f. 1.4.2019 shall be as per provisions of Late payment Surcharge specified In RERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2019 as amended from time to time."

16. **Amendment in Regulation 33 of the Principal Regulations:**

Following new row shall be added below the existing table appearing at sub-regulation (1) of Regulation 33:

6	2019-20	5.7171	5.7135

17. **Amendment in Regulation 35 of the Principal Regulations:**
The existing provision of Regulation 35 shall be substituted as under:

"35. Tariff for Plants under the REC mechanism
The tariff of projects set up under REC Mechanism shall be governed by the RERC (Renewable Energy Obligation Compliance Framework) Regulation, 2010 and amendments thereto."

18. **Amendment in Regulation 39 of the Principal Regulations:**
The existing sub-regulation (3) of Regulation 39 shall be substituted as under:

"(3) Energy Accounting:
Notwithstanding anything contrary contained in any other Regulations time being in force the Energy Accounting Shall be as under.
(a) If in any block injected energy is more than the energy drawn, the excess energy shall be computed. The excess energy of each time block shall be cumulated till the end of the month and shall be set off against the cumulative drawl Discom energy in the same month.
(b) For remaining excess injected energy, if any at the end of the month, the RE Power Generator/Developer would be entitled to get payment @60% of energy charges applicable for large industrial power tariff, excluding fuel surcharge, if any, in respect of 10% of unutilized banked energy after the end of the same month. Unutilized banked energy, in excess of 10% shall lapse."

By Order of the Commission,
B.K.Dosi,
Secretary.

Note:

1. The Principal Regulations were published in Rajasthan Gazette Extraordinary Part-7 on 27-03-2014.
2. The Principal Regulations were amended vide Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff for Renewable Energy Sources-Wind and Solar Energy) (First Amendment) Regulations, 2015 notified in Rajasthan Gazette Extraordinary Part-7 notified on 26-03-2015.

Form- 1.1: Form Template (Wind orSolar PV/Solar ThermalPower Project)

S. No.	Assumption Head	Sub-Head	Sub-Head(2)	Unit	Parameter
1	Power Generation	Capacity	Installed Power Generation Capacity Capacity Utilization Factor Commercial Operation Date Useful Life	MW % MM/YYYY Years	
2	Project Cost	Capital Cost/MW	Normative Capital Cost Capital Cost Capital Subsidy If any Net Capital Cost	Rs Lakh/MW Rs. Lakh Rs. Lakh Rs. Lakh	
3	Financial Assumptions	Debt Equity	Tariff Period Debt Equity Total Debt Amount Total Equity Amount	Years % % Rs. Lakh Rs. Lakh	
		Debt Component	Loan Amount Moratorium Period Repayment Period (incld. Moratorium) Interest Rate	Rs Lakh Years Years %	

		Equity Component	Equity amount Return on Equity for first 10 years. Return on Equity 11th year onwards.	Rs. Lakh % %	
		Depreciation	Discount Rate Depreciation Rate for 1st 13 yrs. Depreciation Rate 14th years onwards	% %p.a %p.a	
		Incentives	Generation Based Incentive, If any Period for GBI	Rs L p.a. Years	
4	Operation & Maintenance	Normative O&M expense O&M expense p.a. Escalation factor for O&M expense		Rs Lakh/MW Rs Lakh %	
5	Working Capital	O&M expense Maintenance Spare Receivable Interest on Working Capital	(% of O&M expenses)	Months % Months % p.a	

Form – 1.2: Form Template for Wind Power or Solar PV/Solar Thermal – Determination of Tariff Components

Units Generation	Unit	Yr-1	Yr-2	Yr-3	Yr-4	Yr-5	Yr-6	Yr-7	Yr-8	Yr-9	Yr-10	Yr-11	Yr-12	Yr-13	Yr-14	Yr-15	Yr-16	Yr-17	Yr-18	Yr-19	Yr-20	Yr-21	Yr-22	Yr-23	Yr-24	Yr-25
Installed Capacity	MW																									
Net Generation	MU																									

Tariff Component (Fixed charge)	Unit	Yr-1	Yr-2	Yr-3	Yr-4	Yr-5	Yr-6	Yr-7	Yr-8	Yr-9	Yr-10	Yr-11	Yr-12	Yr-13	Yr-14	Yr-15	Yr-16	Yr-17	Yr-18	Yr-19	Yr-20	Yr-21	Yr-22	Yr-23	Yr-24	Yr-25
O&M Expenses	Rs. Lakh																									
Depreciation	Rs. Lakh																									
Interest on term loan	Rs. Lakh																									
Interest on working capital	Rs. Lakh																									
Return on Equity	Rs. Lakh																									
Total Fixed Cost	Rs. Lakh																									

Per Unit Tariff Component	Unit	Yr-1	Yr-2	Yr-3	Yr-4	Yr-5	Yr-6	Yr-7	Yr-8	Yr-9	Yr-10	Yr-11	Yr-12	Yr-13	Yr-14	Yr-15	Yr-16	Yr-17	Yr-18	Yr-19	Yr-20	Yr-21	Yr-22	Yr-23	Yr-24	Yr-25
PU O&M Expenses	Rs/kWh																									
PU Depreciation	Rs/kWh																									
PU Interest on term loan	Rs/kWh																									
PU Interest on working capital	Rs/kWh																									
PU Return on Equity	Rs/kWh																									
PU Tariff Components	Rs/kWh																									

Levelised Tariff	Unit	Yr-1	Yr-2	Yr-3	Yr-4	Yr-5	Yr-6	Yr-7	Yr-8	Yr-9	Yr-10	Yr-11	Yr-12	Yr-13	Yr-14	Yr-15	Yr-16	Yr-17	Yr-18	Yr-19	Yr-20	Yr-21	Yr-22	Yr-23	Yr-24	Yr-25
Discount Factors	Rs/kWh																									
Discounted Tariff components	Rs/kWh																									

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना
जयपुर 05 मार्च, 2019

संख्या : रा़विविआ/सचिव/विनि.128– विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 एवं 181 के साथ पठित धारा 61 एवं धारा 62 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ करने वाले अन्य सभी प्रावधानों का उपयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग "राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय उर्जा स्त्रोतों– पवन तथा सौर उर्जा के लिये टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2014 (इसके पश्चात् 'मुख्यविनियमों' के रुप में निर्दिष्ट) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. **लघु शीर्षक तथा प्रारम्भण :**
   (1) ये विनियम "राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय उर्जा स्त्रोतों– पवन तथा सौर उर्जा के लिये टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2019 कहलायेंगे।
   (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन के तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **मुख्य विनियमों के विनियम 1 में संशोधन :**
   (अ) विद्यमान उप विनियम (2) को निम्न रुप में संशोधित किया जायेगा:
   उप विनियम (2) में प्रकट हो रहे "वित्तीय वर्ष 2018–19 तक, अर्थात्, 31 मार्च, 2019" शब्दों एवं अंकों को "वित्तीय वर्ष 2019–20 तक, अर्थात्, 31 मार्च, 2020" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
   (ब) विद्यमान उप विनियम (3) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा:
   उप विनियम (3) में प्रकट हो रहे अंक "5" को अंक "6" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. **मुख्य विनियमों के विनियम 5 में संशोधन :**
   (अ) विनियम 5 के मुख्य प्रावधान में प्रकट हो रहे शब्द एवं अंक "पाँच (5)" को शब्द एवं अंक "छः(6)" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
   (ब) विनियम 5 के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के नीचे निम्नानुसार एक नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा:
   "बशर्ते यह भी कि अगली नियंत्राणवधि के प्रारम्भ तक अगली नियंत्रणावधि के विनियम अधिसूचित नहीं किये जाते है तो इन विनियमों के अनुसार टैरिफ मानदण्ड, संशोधित विनियमों के अनुसार समायोजन के अध्यधीन संशोधित विनियमों की अधिसूचना तक, निरन्तर लागू रहेंगे।"
4. **मुख्य विनियमों में नया विनियम 6 अ का अन्तःस्थापन :**
   एक नया विनियम 6अ निम्नानुसार अन्तः स्थापित किया जायेगा:
   "6अ.परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ
   (1) निम्न प्रकार की परियोजनाओं के लिये जैसे ही और जब भी स्थिति उत्पन्न होने पर आयोग प्रत्येक मामलें के आधार पर परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ निर्धारित कर सकता है:
      (क) सौर पीवी एवं सौर तापीय;
      (ख) पवन उर्जा (ऑन शोरऔर ऑफशोर सहित);
      (ग) अन्य संकर परियोजनायें, जिसमें नवीकरणीय–नवीकरणीय या नवीकरणीय पारंपरिक स्त्रोत सम्मिलित है जिसके लिये एम एन आर ई द्वारा नवीकरणीय तकनीकी का अनुमोदन किया गया है।
      (घ) एम एन आर ई द्वारा स्वीकृत की गयी अन्य नवीन नवीकरणीय प्रौद्योगिकियां।
      (ड.) केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आवृत्त परियोजनाएं।
   (2) ऐसे अक्षय उर्जा स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन के लिये परियोजना विनिर्दिष्टटैरिफ का विनिर्धारण ऐसे निबन्धनों एवं शर्तों, जो यहां आगे दी गयी है, के अनुसार होगा:
   बशर्तें कि परियोजना विशिष्ट टैरिफ का निर्धारण करते समय इन विनियमों के भाग–III से VI के अन्तर्गत यथा निर्दिष्ट वित्तीय एवं तकनीकी मानदण्डों को आयोग द्वारा आदेश में दर्ज कारणों से विचलित किया जा सकता है।

5. **मुख्य विनियमों के विनियम 7 में संशोधन :**
विनियम 7 के विद्यमान उप विनियम (3) के नीचे निम्नलिखित नया उप विनियम(4) अंतःस्थापित किया जायेगाः

"(4) परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ के विनिर्धारण के लिये याचिका विनियमों द्वारा यथा निर्धारित शुल्क के साथ होगी एवं निम्नलिखित के साथ होगीः

(क) इन विनियमों में यथा संलग्न एवं प्रपत्र 1.1 और 1.2, जैसी भी स्थिति हो, में सूचना;

(ख) विस्तृत परियोजना ब्यौरा जिसमें तकनीकी और परिचलात्मक ब्यौरे, कार्य स्थल विनिर्दिष्ट पहलू, पूंजी लागत तथा वित्तीययोजना के लिए भूमिका, क्षमता के साथ संचालन में समान प्रौद्योगिकी की भूमिका और अन्य तकनीकी विवरण, संस्तुत परिचालन एवं अनुरक्षण प्रथाएं और सार्वजनिक सुरक्षा आवश्यकताएं इत्यादि।

(ग) सभी लागू निबंधनों तथा शर्तों का विवरण तथा अवधि, जिसके लिए टैरिफ का विनिर्धारण किया जाना है, के लिए प्रत्याशित व्यय।

(घ) एक ऐसा विवरण, जिसमें केन्द्रीय सरकार और/या राज्य सरकार से शोध्य या कल्पितप्राप्तकोई सहायिकीतथा प्रोत्साहन का पूर्ण ब्यौरा अंतर्विष्ट हो। इस विवरण में सहायिकी तथा प्रोत्साहन पर विचार किये बिना संगणित प्रस्तावित टैरिफ भी सम्मिलित होगा।

(ङ) कोई अन्य जानकारी जो आयोग याचिकाकर्ता से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करें।

6. **मुख्य विनियमों के विनियम 9 में संशोधन :**
विद्यमान उप विनियम (3) के नीचे निम्नलिखित नया उप विनियम(4) अंतःस्थापित किया जायेगाः
"(4) उक्त सिद्धांत परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ के निर्धारण के लिये भी लागू होंगे।"

7. **मुख्य विनियमों के विनियम 10 में संशोधन :**
विद्यमान उप विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगाः
"(2) पवन तथा सौर उर्जा संयन्त्रों से उत्पादित उर्जा के लिये प्रेषण सिद्धांत, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (राजस्थान विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2008 एवं राविविआ (सौर तथा पवन उत्पादन स्त्रोत के पूर्वानुमान, शिडयूलिंग, विचलन, व्यवस्थापन एवं सम्बद्ध मामले) विनियम 2017 एवं उनके संशोधनों के अन्तर्गत कोई विशिष्ट प्रावधान किया गया है, समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।"

8. **मुख्य विनियमों के विनियम 11 में संशोधन :**
विनियम 11 में निम्नलिखित नया परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगाः
"बशर्ते कि परियोजना विनिर्दिष्टटैरिफ के निर्धारण के लिये, उत्पादन कम्पनी विनियम 7 के अन्तर्गत निर्दिष्ट रीति से अपनी याचिकाओं के साथ पूंजीगत लागत के मदो का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी।"

9. **मुख्य विनियमों के विनियम 12 में संशोधन :**
विद्यमान प्रावधान को यथा उप विनियम (1) के संख्यांकित किया जायेगा एवं इसके नीचे निम्नलिखित उप विनियम (2) अंतःस्थापित किया जायेगाः
"(2) परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ के लिये, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे-

वास्तविक रुप से संयोजित साम्या पूंजीगत लागत के 30% से अधिक है, तो 30% से अधिक की साम्या को प्रासमिक ऋण के रुप में माना जाएगाः

बशर्ते कि जहां वास्तविक रुप से संयोजित साम्या पूंजीगत लागत के 30% से कम है, तो टैरिफ के निर्धारण के लिये वास्तविक साम्या पर विचार किया जायेगाः

बशर्ते यह और कि विदेशी मुद्रा में निवेशित साम्या, यदि कोई हो, को प्रत्येक निवेश की तिथि पर भारतीय रूपये में माना जायेगा।"

10. **मुख्य विनियमों के विनियम 13 में संशोधन :**

(अ) उप विनियम (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

"(1) **ऋणावधि**

जातीय टैरिफ के विनिर्धारण के प्रयोज्य से, 13 वर्ष के ऋण की अवधि पर विचार किया जायेगा।"

(ब) उप विनियम (2)(ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगाः

"(ख) टैरिफ की संगणना के लिये, पिछले उपलब्ध छः महिनों के दौरान प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की मार्जिनल निधि आधारित ऋण दर (एमसीएलआर)(एक वर्ष की अवधि) के औसत से अधिक दो सौ (200) आधार बिन्दू के प्रासंगिक ब्याज दर पर विचार किया जायेगा।"

11. **मुख्य विनियमों के विनियम 14 में संशोधन :**
विनियम 14 के उप विनियम (1) एवं (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"(1) ह्रास के प्रयोजनार्थ मूल्याधार, आयोग द्वारा विनिर्धारित पूंजीगत लागत (जातिगत टैरिफ के लिए) या आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजीगत लागत (परियोजना विनिर्दिष्टटैरिफ के लिये), जैसे भी स्थिति हो, होगी। परिसम्पत्ति का उबार मूल्य 10% माना जायेगा तथा ह्रास परिसम्पत्ति के पूंजीगत लागत के अधिकतम 90% तक अनुमत किया जा सकेगा।
(2) प्रथम 13 वर्षों के लिये 5.28% प्रति वर्ष की ह्रास दर एवं परियोजना लागत के 10% के रूप में परियोजनाके ऊबार मूल्य पर विचार करते हुए, परियोजना के शेष रहे उपयोगी जीवनकाल में विस्तारित किये जाने वाले शेष ह्रास पर विचार किया जायेगा।"

12. **मुख्य विनियमों के विनियम 15 में संशोधन :**

(अ) विनियम 15 के उप विनियम (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"(2) साम्या पर प्रासंगिक प्रतिफल परियोजना के सम्पूर्ण उपयोगी जीवन के लिये पिछले वर्ष की 1अप्रैल को प्रचलित न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से सकल करते हुए, 14% होगा।"
(ब) मुख्य विनियमों के विनियम 15 के उप विनियम (3) को विलोपित किया जायेगा।

13. **मुख्य विनियमों के विनियम 16 में संशोधन :**
विनियम 16 के उप विनियम (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"(2) कार्यशील पूंजी पर ब्याज, टैरिफ के विनिर्धारण के लिये अंतिम उपलब्ध छः महिनों के दौरान प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक मार्जिनल निधि आधारित ऋण दर (एमसीएलआर)(एक वर्ष की अवधि) के औसत के ऊपर तीन सौ (300) आधार बिन्दू के प्रासंगिक ब्याज दर के समतुल्य ब्याज दर होगी।"

14. **मुख्य विनियमों के विनियम 18 में संशोधन :**
विनियम 18 के नीचे निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जायेगा:
"बशर्ते कि 01.04.2019 से विपत्रों के भुगतान में छूट राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2019, समय समय पर यथा संशोधित, में विनिर्दिष्ट छूट के प्रावधानों के अनुसार होगी।"

15. **मुख्य विनियमों के विनियम 19 में संशोधन :**
विनियम 19 के नीचे निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जायेगा:
"बशर्ते कि 01.04.2019 से विपत्रों के विलम्ब से भुगतान पर अधिभार राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें)विनियम, 2019, समय समय पर यथा संशोधित, में विनिर्दिष्ट विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के प्रावधानों के अनुसार होगा।"

16. **मुख्य विनियमों के विनियम 33 में संशोधन :**
विनियम 33 के उप विनियम (1) में प्रकट हो रही विद्यमान तालिका के नीचे निम्नलिखित नयी पंक्ति को अंतःस्थापित किया जायेगा:

6	2019–20	5.7171	5.7135

17. **मुख्य विनियमों के विनियम 35 में संशोधन :**
विनियम 35 के विद्यमान प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे:
"35 अक्षय उर्जा प्रमाण पत्र क्रिया विधि के अन्तर्गत संयत्रों हेतु टैरिफ:

अक्षय उर्जा प्रमाण पत्र क्रियाविधि के अन्तर्गत स्थापित परियोजनाओं की टैरिफ राविविआ(अक्षय उर्जा प्रमाण पत्र तथा अक्षय क्रय बाध्यता अनुपालन ढांचा) विनियम 2010 एवं उसके संशोधनों के द्वारा शासित होगी।"

18. **मुख्य विनियमों के विनियम 39 में संशोधन :**
विनियम 39 के विद्यमान उप विनियम (3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:
"(3) उर्जा लेखांकन:
समय बल मेंप्रवृत्त किन्हीं अन्य विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उर्जा लेखांकन निम्न प्रकार से होगा–
(क) यदि किसी ब्लाक में अंतःक्षेपित उर्जा ली गयी उर्जा से अधिक है, तो अतिरिक्त उर्जा की गणना की जायेगी। प्रत्येक समय ब्लाक की अतिरिक्त उर्जा को महिने के अंत तक संचित किया जायेगा एवं उसी माह में डिस्कोम उर्जा से संचयी आहरण के तहत् समायोजन किया जायेगा।
(ख) माह के अन्त में शेष रही अतिरिक्त अन्तःक्षेपित उर्जा के लिये, यदि कोई हो, अक्षय उर्जा विद्युत उत्पादक/विकासक, बैंक की गयी उपयोग में न लाई गई 10% उर्जा के सम्बन्ध में उसी माह की समाप्ति के पश्चात् वृहत् औद्योगिक शक्ति टैरिफ के लिये प्रयोज्य उर्जा प्रभारों, ईंधन अधिभार (यदि कोई है), के बिना 60% की दर पर भुगतान प्राप्त करने का पात्र होगा। 10% से अधिक अप्रयुक्त बैंक की गयी उर्जा, व्ययगत हो जायेगी।

आयोग की आज्ञा से,
बी.के. दोसी,
सचिव।

टिप्पणी:

1. मुख्य विनियम 27.03.2014 को राजस्थान राज–पत्र असाधारण भाग–7 में प्रकाशित किये गये थे।
2. मुख्य विनियम राजस्थान राज–पत्र असाधारण भाग–7 में अधिसूचित 26.03.2015 को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय उर्जा स्त्रोतों–पवन तथा सौर उर्जा के लिये टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्ते) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

प्रारुप –1.1 : प्रारुप (पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा पीवी/सौर थर्मल)

क्र. सं.	पूर्वानुमान शीर्ष	उप–शीर्ष	उप–शीर्ष (2)	यूनिट	पैरामीटर
1	ऊर्जा उत्पादन	क्षमता	संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता	मेगावाट	
			क्षमता उपभोग कारक	%	
			वणिज्यिक प्रचालन की तारीख	मास/वर्ष	
			उपयोगी जीवन काल	वर्ष	
2	परियोजना लागत	पूंजीगत लागत/मेगावाट	मानकीय पूंजी लागत	रुपये	
			पूंजी लागत	लाख/मेगावाट	
			पूंजी सहायिकी यदि कोई	रुपये लाख में	
			कुल पूंजी लागत	रुपये लाख में	
3	वित्तीय पूर्वानुमान	ऋण : ईक्विटी	टैरिफ अवधि	वर्ष	
			ऋण	%	
			ईक्विटी	%	
			कुल ऋण रकम	रुपये लाख में	
			कुल ईक्विटी रकम	रुपये लाख में	
		ऋण संघटक	ऋण रकम	रुपये लाख में	
			विलंबनाधीन अवधि	वर्ष	
			प्रतिसंदाय अवधि (जिसमें विलंबनाधीन है)	वर्ष	
			ब्याज दर	%	
		ईक्विटी संघटक	ईक्विटी रकम	रुपये लाख में	
			पहले दस वर्षो के लिए ईक्विटी पर रिर्टन	%	

			11 वर्ष और उससे आगे के लिए इक्विटी पर रिटर्न	%	
		अवक्षयण	छूट दर	%	
			13 वर्ष के लिए अवक्षयण दर	%	
			14 वर्ष और उसके आगे के लिए अवक्षयण दर	%	
		प्रोत्साहन	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, यदि कोई हो	रुपये लाख प्र.व.	
			जीबीआई के लिए अवधि	वर्ष	
4	प्रचालन एवं रखरखाव	मानकीय ओ.एंड एम. खर्चे		रुपये लाख/मेगावाट	
		प्रति वर्ष ओ. एंड एम. खर्चे		रुपये लाख में	
		ओ. एंड एम खर्चे के लिए वृद्धि कारक		%	
5	कार्यकरण पूंजी	ओ.एंड एम. खर्चे		मास	
		रखरखाव पुर्जे	(ओ. एंड एम. खर्चे का %)	%	
		प्राप्य		मास	
		कार्यकरण पूंजी पर ब्याज		% प्रति वर्ष	

प्रारुप-1.2 : (पवन ऊर्जा या सौर पीवी/सौर थर्मल) का प्रारुप-टैरिफ संघटक का अवधारण

यूनिट उत्पादन	यूनिट	वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5	वर्ष-6	वर्ष-7	वर्ष-8	वर्ष-9	वर्ष-10	वर्ष-11	वर्ष-12	वर्ष-13	वर्ष-14	वर्ष-15	वर्ष-16	वर्ष-17	वर्ष-18	वर्ष-19	वर्ष-20	वर्ष-21	वर्ष-22	वर्ष-23	वर्ष-24	वर्ष-25
संस्थापित क्षमता	एमडब्ल्यू																									
कुल उत्पादन	एमयू																									

टैरिफ संघटक (नियत प्रभार)	यूनिट	वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5	वर्ष-6	वर्ष-7	वर्ष-8	वर्ष-9	वर्ष-10	वर्ष-11	वर्ष-12	वर्ष-13	वर्ष-14	वर्ष-15	वर्ष-16	वर्ष-17	वर्ष-18	वर्ष-19	वर्ष-20	वर्ष-21	वर्ष-22	वर्ष-23	वर्ष-24	वर्ष-25
ओएंडएम खर्चे	रु. लाख में																									
अवक्षयण	रु. लाख में																									
आवधिक ऋण परब्याज	रु. लाख में																									
कार्य कारी पूंजी पर ब्याज	रु. लाख में																									
रिटर्न आनईक्विटी	रु. लाख में																									
कुल नियत प्रभार	रु. लाख में																									

प्रति यूनिट टैरिफसंघटक	यूनिट	वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5	वर्ष-6	वर्ष-7	वर्ष-8	वर्ष-9	वर्ष-10	वर्ष-11	वर्ष-12	वर्ष-13	वर्ष-14	वर्ष-15	वर्ष-16	वर्ष-17	वर्ष-18	वर्ष-19	वर्ष-20	वर्ष-21	वर्ष-22	वर्ष-23	वर्ष-24	वर्ष-25
पीयूओएंडएम खर्चे	रु./कि वाघ																									
पीयू अवक्षयण	रु./कि वाघ																									
सावधिक ऋण पर पीयू ब्याज	रु./कि वाघ																									
कार्य कारी पूंजी पर पीयू ब्याज	रु./कि वाघ																									
पीयू रिटर्न आनईक्विटी.	रु./कि वाघ																									
पीयू टैरिफ संघटक	रु./कि वाघ																									

प्रस्तावित टैरिफ	यूनिट	वर्ष-1	वर्ष-2	वर्ष-3	वर्ष-4	वर्ष-5	वर्ष-6	वर्ष-7	वर्ष-8	वर्ष-9	वर्ष-10	वर्ष-11	वर्ष-12	वर्ष-13	वर्ष-14	वर्ष-15	वर्ष-16	वर्ष-17	वर्ष-18	वर्ष-19	वर्ष-20	वर्ष-21	वर्ष-22	वर्ष-23	वर्ष-24	वर्ष-25
छूट कारक	रु./किवाघं																									
छूट सहित टैरिफ घटक	रु./किवाघं																									

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

RAJASTHAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

ERRATA

Rajasthan Extra ordinary Gazette Part 7 No. RERC/SECY./Regulation-128 published in march 15, 2019 following discrepancies have been found in the above said gazette notification:-

1. After Sub reg. (1) of reg.11[Page 107 (3) of the Gazette, the sub reg. is mentioned as sub reg. (B) that shuld be read correctly as (2) in English version.
2. Sub reg. of Reg. 12 [Page 107 (3) of the Gazette] are numbered as (B) & (C) Should be read correctly as (A) & (B) in English version.

Government Central Press, Jaipur.